COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

कोर्ट फी Rs. 2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

2 / 7-[illegible]

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 15-5-12
अन्तर्गत धारा 143 [illegible]
[illegible] परगना [illegible] तहसील
[illegible] जनपद [illegible]
[illegible] खसरा सं० 60 [illegible]
श्री प्रतापसिंह [illegible]
[illegible]
[illegible] 15-5-12

आदेश दिनांक 15-5-12 की
[illegible] प्रति संलग्न है।

न्यायालय उपजिलाधिकारी गौरीगंज, छत्रपतिशाहूजी महाराजनगर

वाद सं0 60

अन्तर्गत धारा 143ज0वि0अधिनियम
ग्राम अलीपुर पर0गौराजामो तहसील
गौरीगंज, सी0एस0एम0नगर

शिवप्रतापसिंह बनाम ग्रामसभा

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। शिवप्रतापसिंह सुत उमारमण प्रताप बहादुर सिंह प्रबन्धक/अध्यक्ष रानी छविनाथ कुंवरि प्रशिक्षण महाविद्यालय जामो ने इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम अलीपुर परगना गौराजामो तहसील गौरीगंज की गाटा संख्या 22/0-506से से 0-335व 24/0-051, 25/0-22 0-2280 में प्रशिक्षण महाविद्यालय निर्मित होने के कारण महाविद्यालय भवन/अकृषिक भूमि घोषित किया जाय।

तहसील से स्थलीय जांच कराई गई, जांच आख्या से स्पष्ट है कि गाटा सं022/0-335, 24/0-051, 25/0-228 अकृषिक है। रानी छविनाथ कुंवरि प्रशिक्षण महाविद्यालय जामो का निर्माण होना है, पिलर खड़ा है नीव बराबर मिट्टी डाल दी गई है, कार्य निर्माण का चल रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध जो0प0आकारपत्र41, 45 से स्पष्ट है कि भूमि ग्रामसभा/राज्य सरकार की नहीं है। खतौनी 1414ता1419फस0के खाता सं01 पर वाद भूमि रानी छविनाथ कुंवरि प्रशिक्षण महाविद्यालय जामो द्वारा अध्यक्ष शिवप्रतापसिंह के नाम अंकित है। तहसील जांच आख्या से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन प्रशिक्षण महाविद्यालय के निर्माण हेतु किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में ग्राम अलीपुर परगना गौराजामो तहसील गौरीगंज की खतौनी 1414ता1419फसली के खाता संख्या 1की गाटा संख्या 22मि0/0-335, 24/0-051, 25/0-228हे0 कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन होने के कारण अकृषिक घोषित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार गौरीगंज को खतौनी के विवरण कालम में अंकित किये जाने हेतु भेजा जाय तथा इस खतौनी से अनन्तर बनने वाली खतौनी में आदेश का अंकन होता रहे। एक प्रति उपनिबन्धक गौरीगंज को निःशुल्क पंजीकरण हेतु भेजा जाय। वाद औपचारिकता पत्रावली संचित हो।

15.5.12

उपजिलाधिकारी
गौरीगंज, सी0एस0एम0नगर

प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र संख्या 643
प्रार्थना पत्र का दिनांक 15-5-12
प्रतिलिपि तैयारी का दिनांक 15-5-12
प्रतिलिपि वितरण का दिनांक 15-5-012

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उप जिलाधिकारी
गौरीगंज
छत्रपति शाहूजी महाराज नगर

Photo-Copy Attested
27-8-12
Notary Public
JAIPUR